न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डा0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या–01/2022 जी.सी.एम.एस नं.–72/2022

1. चरनसिंह पुत्र श्री अजमेरसिंह 2. कमला पुत्री अजमेरसिंह
3. सनेही पुत्री अजमेरसिंह 4. बैजन्ती पत्नि अजमेरसिंह
जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम भगवन्तगढ तहसील व जिला धौलपुर ––प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार धौलपुर
––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 111 एवं 131
एल0आर0एक्ट

उपस्थिति– श्री देवीसिंह एडवोकेट––प्रार्थीगण की ओर से
पैरोकार सरकार––अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 30.04.2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेंश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर अर्थात 19 विस्वा बाके ग्राम भगवन्तगढ तहसील धौलपुर के संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार है एव इसी हैसियत से मौके पर काबिज आराजी है। प्रार्थी की खातेदारी के उक्त खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर से लगा हुआ खसरा नम्बर 225/83 रकबा 0.1770 हैक्टेयर यानि 14 विस्वा किस्म सिवायचक बजंड ग्राम भगवन्तगढ स्थित है। अप्रार्थी द्वारा तरमीम करते समय प्रार्थीगण के उक्त आराजी खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर के रकबा 0.2403 हैक्टेयर के स्थान पर0.1770 हैक्टेयर कर दिया है एवं प्रार्थीगण की आराजी से लगे हुए खसरा नम्बर 225/83 रकवा 0.1770 हैक्टेयर के स्थान पर 0.2403 हैक्टेयर कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगण मौके पर 0.2403 हैक्टेयर रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी द्वारा की गयी गलत तरमीम विधि बिरूद्व है। प्रार्थीगण को अब तक उक्त गलत तरमीम की जानकारी नही थी अर्सा करीब 15 रोज पूर्व हल्का पटवारी से नकल लेने व रकबा बरारी कराने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की अप्रार्थी की गलती से गलत तरमीम हो गयी। प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से अपने खसरा नम्बर की तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया लेंकिन अप्रार्थी ने कहा कि ऊपर से आदेश करा कर लाओ तभी तरमीम होगी। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2.07.2021 को श्रीमान के यहा प्रस्तुत किया फिर

की प्रार्थीगण के खसरा नम्बर की तरमीम दुरूस्त नही हुई। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 225/83 रकबा 0.1770 हैक्टेयर किस्म सिवायचक बंजड बाके ग्राम भगवन्तगढ तहसील धौलपुर की नक्शा अक्स में तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिलिपि नक्शा अक्स, प्रतिलिपि जमाबन्दी सं0 2076-79 खाता संख्या 49 एवं खाता संख्या 01 ग्राम भगवन्तगढ पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संबध मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी तहसीलदार धौलपुर ने अपने पत्रांक 2372 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा मय रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रस्तुत कर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा नम्गर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर बाके ग्राम भगवन्तगढवैजन्ती पत्नि व चरनसिंह पुत्र व कमला, सनेही पुत्रियान पि. अजमेरसिंह जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पटवार नक्शा लठठा में खसरा नम्बर 226/83 की आकृति लाल स्याही से तरमीम कर बनी हुई है एंव आराजी के पश्चिमी ओर खसरा नम्बर 225/83 रकबा 0.1770 हैक्टेयर किस्म बंजड सिवायचक की आकृति लगी हुई है दूसरी ओर (पूर्व की ओर) खसरा नम्बर 227/83 रकबा 19 विस्वा जो कि खातेदारी में दर्ज है की आकृति लगी हुई है। उक्त खसरा नम्बर 225/83, 226/83 एवं 227/83 की आकृति लगी हुई है खसरा नम्बर 225/83, 226/83 एवं 227/83 की आकृति मूल खसरा नम्बर 83 मे से तरमीम कर बनाई गयी है। खसरा नम्बर 226/83 की रकबा बराबरी करने पर आराजी का रकबा 19 विस्वा से कम पाया गया। आराजी का मौका देखे जाने पर आराजी मौके पर नक्शे के सापेक्ष खसरा नम्बर 225/83 की ओर बढ़ी हुई पायी गयी इसके अनुसार आराजी का रकबा 0.2403 हैक्टेयर पूर्ण हो जाता है मौका अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने पर प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार है।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकार सुनी गई। विद्वान अभिभाषद प्रार्थीगण ने अपने तर्को मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा 0.2403 हैक्टेयर है जबकि नक्शा में जो तरमीम अप्रार्थी के द्वारा की गई है उसके अनुसार नक्शा मे रकबा कम दर्शाया गया है जबकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के सम्पूर्ण रकबा पर काबिज है। अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर की रकबा बराबरी करने पर रकबा कम होना एंव प्रार्थीगण की आराजी से लगा हुआ सिवायचक खसरा नम्गर 225/83 का रकबा बढा हुआ होना बताया गया है इस प्रकार प्रार्थीगण का नक्शा अक्स मे रकबा कम दर्शाया गया है। उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा लठठा में तरमीम दुरूस्त कराने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थीगण के कथनो को स्वीकार करते हुए मुताबिक रिपोर्ट तरमीम दुरूस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

बहस उभयपक्ष पर मनन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम भगवतगढ़ तहसील धौलपुर की प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2076–79 खाता सख्या 49 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है तथा जमाबन्दी खाता सख्या 01 के अनुसार 225/83 रकबा 0.1770 हैक्टेयर किस्म बंजड सिवायचक दर्ज है। प्रार्थना पत्र के साथ उक्त खसरा नम्बरो की तरमीम को लाल स्याही से दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनो खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 83 मे से बने है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 226/83 की रकबा बराबरी करने पर नक्शा में रकबा कम पाया गया है तथा मौके पर प्रार्थीगण अपने खातेदारी के पूर्ण रकबा पर काबिज है और तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 225/83 व खसरा नम्बर 226/83 के मध्य तरमीम शुद्व किया जाना प्रस्तावित किया गया है इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नक्शा लठठा में आराजी खसरा नम्बर 226/83 का रकबा खसरा नम्बर 225/83 में शामिल कर दिया गया है । हम प्रार्थीगण के कथनो एवं तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना एवं नक्शा लठठा में वर्तमान तरमीम को निरस्त कर पुनः तरमीम किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भगवन्तगढ तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 225/83 रकबा 0.1770 हैक्टेयर की नक्शा लठठा में अंकित वर्तमान तरमीम को दुरूस्त कर ग्राम भगवन्तगढ तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 226/83 रकबा 0.2403 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 225/83 रकबा 0.1770 हैक्टेयर की नक्शा में तरमीम मुताबिक रकबानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय प्रति पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्ब जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)